


भाग-IV
(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	नीमच जिले के अंतर्गत वन मंडल नीमच में एमपी-30 गांधी सागर ऑफ-स्ट्रिम पम्पेड स्टोरेज परियोजना (1440 मेगावाट) के निर्माण हेतु 301.96 हेक्टेयर वनभूमि ग्रीनको एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड, हैदराबाद को उपयोग देने की अनुशंसा की जाती है। <div style="text-align: right;"> (सुनील अग्रवाल) भा.व.से. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (शु-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल</div>
----	---	----	--

तिथि: 16 / 06 / 2021

स्थान: भोपाल